कार्यालयः—जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल. म0प्र0

—::: ज्ञापन :::—

क्रमांकः—**Q-11** भोपाल, दिनांकः—**29-03-2020**

प्रति,

समस्त न्यायिक अधिकारीगण,

भोपाल / बैरसिया.

विषय :— विचाराधीन बंदियों / केन्द्रीय जेल, भोपाल में निरूद्ध के जेल से प्राप्त अंतरिम जमानत आवेदन—पत्रों के अविलम्ब निराकरण किये जाने के संबंध में।

संदर्भ :— माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के पृष्ठाकन क्रमांक—A/855 जबलपुर, दिनॉक—28-03-2020.

——00——

विषयांतर्गत लेख है, कि संदर्भित पृष्ठांकन के अनुक्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SUO MOTO WRIT PETITION (Civil) No.:-1/2020 IN RE CONTAGION OF COVID-19 VIRUS IN PRISONS में पारित आदेश दिनांक—23-03-2020 के अनुक्रम में माननीय अध्यक्ष, म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित हाई पॉवर कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक—26-03-2020 के अनुक्रम जेल मुख्यालय म0प्र0, भोपाल द्वारा सदस्य सचिव, राज्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, म0प्र0 को ज्ञापन क्रमांक—6244/वारण्ट-1/2020 भोपाल दिनॉक—28-03-2020 के द्वारा सूचित किया गया है, कि केन्द्रीय जेल, भोपाल में 209 विचाराधीन बंदियों के आवेदन वास्ते अंतरिम जमानत संबंधित न्यायालयों को भेजे गये हैं।

यद्यपि अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, आपको निर्देशित किया जाता है, कि आवेदन प्राप्त होते ही आप उनका निराकरण करने के लिये तत्काल न्यायालय में अपने आवश्यक स्टॉफ सहित उपस्थित रहेंगे और आज ही उन आवेदनों का निराकरण करेंगे। आवेदन प्राप्त होते ही

आपको तत्काल सूचित किया जावेगा। सूचना प्राप्त होने के 30 मिनिट के भीतर आप न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।

राजेन्द्र कुमार (वर्मा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल, म0प्र0

क्रमांकः—**Q-11** भोपाल, दिनांकः—**29-03-2020**

प्रतिलिपिः:—

1— रजिस्ट्रार जनरल म0प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर,

2— सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर, म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

3— अधीक्षक केन्द्रीय जेल, भोपाल की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित्, कि अभी तक इस स्थापना पर कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अतः तत्काल आवेदन प्रेषित् करें।

4— प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित् कि यह सुनिश्चित् करें, कि न्यायिक अधिकारीगण के न्यायालय में आने पर सारी व्यवस्थाएँ समुचित रूप से हों।

5— प्रभारी अधिकारी/सिस्टम ऑफीसर, जिला न्यायालय, भोपाल की ओर सभी न्यायिक अधिकारीगण को ई—मेल से सूचित किये जाने एवं जिला न्यायालय की वेब—साईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित्।

6— जिला नाज़िर/नायब नाज़िर सिविल न्यायालय बैरसिया, जिला—भोपाल की ओर इस निर्देश के साथ, कि आवश्यकता होने पर तत्काल न्यायालय कक्ष खुलवायें।

राजेन्द्र कुमार (वर्मा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल, म0प्र0